

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर**

पत्रांक:-
सेवा में,

122 / आर0एस0एल0ए0

दिनांक:- 20/9/21

अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0,
रामपुर।

विषय:- जनपद रामपुर में पटवाई मिलक (अन्य जिला मार्ग-3) मार्ग के चौ0 8.708 के ग्राम-रहपुरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर के गाटा संख्या 446/1 पर रिटेल आउट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- जिलाधिकारी, रामपुर का कार्यालय पत्र सं0-204/न्याय सहायक-।। दिनांक 01.11.2019

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त मानचित्रों का सत्यापन उपरान्त इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के सामने मार्ग की स्थायी भूमि 15.50 मी0 सड़क की मध्य रेखा से एक ओर प्रमणित की जाती है। तथा आवेदक द्वारा सड़क की मध्य रेखा से एक ओर 18.29 मी0 की लम्बवत दूरी पर रिटेल आउटलेट को स्थापित करने की अनुमति चाही है। सहायक प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि0, रामपुर ने अपने पत्र दिनांक 15.07.2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट स्थल का चयन विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 25.11.2018 को किया गया था (छायाप्रति संलग्न)। जोकि निर्गत नवीनतम गाइडलाइंस (शासनादेश संख्या-1882/23-12-19- 1365/17टी0सी0 दिनांक 04.12.2019) से पूर्व का है।

प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग लखनऊ (सामान्य वर्ग) के पत्रांक 102/एम0टी0/सामान्य वर्ग/60एम0टी0/1999 दिनांक 05.01.2021 (शुद्धि पत्र) एवं भारत सरकार Ministry of Surface Transport Department, Road Transport and Highways (Road Wing), Transport Bhawan, New Delhi Letter No. RW/NH-33023/19/99 DO-3 Date 24-07-2013 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप चेक लिस्ट गठित कर संलग्न की गयी है। अतः उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के नियम-6(1) में निहित प्राविधानों के अनुसार मार्ग की मध्य रेखा से 18.29 मी0 की लम्बवत दूरी पर प्रस्तावित निर्माण की अनुमति दिये जाने की संस्तुति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ की जाती है।

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने है।
 2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
 3. आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा - 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक स्वयं उत्तरदायित्व होगा।
 4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के बाहर है।
 5. प्रस्तावित स्थल पटवाई मिलक मार्ग के कि0मी0 चौ0 8.708 के मध्य स्थित है।
 6. प्रस्तावित निर्माण स्थल कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
 7. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिए 1.00 कि0मी0 की दूरी तक कोई सर्विस बेरियर नहीं है।
 8. बफर स्ट्रिप 12.00 मी0 लम्बाई एवं 3.00 मी0 चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 11.50 मी0 है।
 9. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाये।
 10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 18.29 मी0, पम्प 29.79 मी0, 37.79 मी0 एवं भवन निर्माण 43.79 मी0 की दूरी पर नक्शे में प्रदर्शित हैं।
- (क) आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्चे से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विधिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 10 वर्षों के लिए लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।
- (ख) आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध उत्पन्न न होने पाये।
- (ग) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग की सतह पर नहीं आना चाहिए एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।

- (घ) फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.30 मी० नीचा रखा जायेगा।
11. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइड खन्ती में 1.00 मी० चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाइप के कैंटिल केचर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधापूर्वक रोड साइड ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द न किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
 12. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो०नि०वि० मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई०आर०सी० 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
 13. बफर स्ट्रिप के पास ग्रीन हैजिज की ऊँचाई 60.00 सेमी से ऊपर न रखी जाये।
 14. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो०नि०वि० मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य प्रस्तावित मानचित्र दर्शित दूरियों को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
 15. प्रस्तावित स्थल के ऊपर 300 मी० दोनों ओर कोई रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिए।
 16. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो, तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 17. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व आवेदक को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० रामपुर से लाईसेंस डीड कराना आवश्यक होगा।
 18. भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, जिसका सत्यापन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक होगा।
 19. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक को अपने खर्च पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर०डब्ल्यू०/एन०एच०-33023-19/99-डी०ओ० तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.03 में दी गयी गाइडलाइनों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 20. उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या-1882/23-12-19-1365/17टीसी दिनांक 04.12.2019 के अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिए मुबलिंग रू० 2,00,000/- (रू० दो लाख मात्र) एक मुश्त लाइसेंस के रूप में एवं अहस्तान्तरणीय प्रोसेसिंग फीस के रूप में मुबलिंग रू० 10,000/- (रू० दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर ली गयी है। (छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत है।)

संलग्नक:-

1. मानचित्र तीन प्रतियों में।
2. एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3. भू-स्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी/सैल डीड।
4. लीज डीड एग्रीमेंट तीन प्रति में।
5. जिलाधिकारी, रामपुर का संदर्भित पत्र।

पत्रांक:- 1221/आर०एस०एल०ए०

प्रतिलिपि -

1. प्रभारी अधिकारी, संयुक्त कार्यालय कृते जिलाधिकारी, रामपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता-1, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. खण्डीय कैशियर, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर को डी०डी० प्राप्त करने हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
रामपुर

दिनांक:- 20/9/21

कुमार विभाष / KUMAR VIVASH
वरिष्ठ प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M.D.)
वरिष्ठ मण्डल कार्यालय / Bareilly Divisional Office